फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

किस्तुरीदेवी वगैरा बनाम भैराराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 99/20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.06.2020	प्रार्थीनीगण की ओर से वकील श्री रिणछारा सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 की संयुक्त व पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा खेजड़ियाली पटवार मण्डल झाक में आई हुई है। प्रार्थीनीगण वकील के कथनानुसार प्रार्थीनीगण के हक हिस्से की भूमि का विप्रार्थीगण बैचान, रहन करने तथा सेढा, माठ आदि तोड़ने का प्रयास करने व कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थी को आगामी पेशी तारीख 20.07.2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा खेजड़ियाली पटवार मण्डल झाक के खेत खसरा नम्बर 258, 260 रकबा क्रमशः 26.8993, 23.3225 हैक्टेयर व मौजा रेवाली पटवार मण्डल हरखाली के खेत खसरा नम्बर 210, 220, 322/210 रकबा क्रमशः 16.9081, 15.2092, 0.7281 हैक्टेयर की भूमि में प्रार्थीनीगण के कब्जे व काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही भूमि का बैचान, रहन आदि करें। न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण, पुरानी सेढा, माठों आदि तोड़ने का प्रयास करें तथा न ही वादग्रस्त भूमि की बुवाई में बाधा पैदा करें। वर्तमान मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 20.07.2020 को पेश हों। 8.6.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

20/07/20

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील मिसल शामिल मुताबिक। विप्रार्थी संख्या-9 की ओर से वकील श्री घीसालाल जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-9 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी संख्या-9 के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा विप्रार्थी संख्या-9 सहखातेदार होने से मात्र औपचारिक पक्षकार बनाया गया है इसलिए विप्रार्थी संख्या-9 के हक हिस्से तक स्थगन आदेश को हटाया जाकर विप्रार्थी संख्या-9 के वादग्रस्त भूमि में हिस्से को स्थगन आदेश से मुक्त किया जाने का आदेश फरमावें। जवाब की प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी गई, प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा No objection किया गया।

अतः विप्रार्थी संख्या-9 के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा No objection करने व विप्रार्थी संख्या-9 के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहने से विप्रार्थी संख्या-9 के हक हिस्से तक स्थगन आदेश हटाया जाता है तथा विप्रार्थी संख्या-9 के हक हिस्से को (वादग्रस्त भूमि को) स्थगन आदेश से मुक्त किया जाता है। शेष स्थगन पूर्व की भांति यथावत रहेगा। पत्रावली वास्ते तलबी व जवाब हेतु दिनांक 29/07/2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

29/07/20

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/07/20	अधिवक्तागण [illegible] विपक्षी संख्या- 2 से 16 के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त। [illegible] पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 05/08/2020 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। [initials]	
05/08/20	प्रार्थी व विपक्षी संख्या-9 [illegible] के वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या- 7 व 8 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा मय जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी व विपक्षी संख्या-7 व 8 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विपक्षी संख्या-7 व 8 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या-7 व 8 से कोई किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया सहखातेदार होने से मात्र औपचारिक पक्षकार बनाया गया है इसलिए विपक्षी संख्या-7 व 8 के विरुद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को हटाया जाकर विपक्षी संख्या-7 व 8 के हिस्से की भूमि को अस्थाई निषेधाज्ञा से बहाल किया जावे। जिसपर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा No objection किया गया।	

शिवदयाल

सहायक कलक्टर (SDO)
[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा no objection किये जाने पर विपक्षी संख्या 7 व 8 के हिस्से की भूमि को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक-08/06/2020 से बहाल किया जाता है। शेष स्थगन पूर्व की भांति यथावत रहेगा। पत्रावली शेष विपक्षीगणों की तलबी के इन्तजार में दिनांक 28/09/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (प्र०) बागपत
28/09/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त है। मिसल इस्तवा होकर दिनांक 07/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
07/10/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त है। मिसल इस्तवा होकर दिनांक 18/11/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
18/11/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त है। मिसल इस्तवा होकर दिनांक 22/02/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
22/02/21	प्रार्थिनी व विपक्षी संख्या-7 व 9 के वकील उपस्थित। शेष विपक्षीगणों के नोटिस तामील केस में तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से मिसल इस्तवा होकर आगामी दिनांक 02/06/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/06/2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय परिकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है। अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 08/10/21 को पेश हो।	
08/10/2021	प्रार्थी व विपक्षी संख्या-7 से 9 के वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 ड्यूटी में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/11/2021 को पेश हो।	
10/11/2021	प्रार्थी व विपक्षी संख्या-7 से 9 के वकील उपस्थित/शेष विपक्षीगणों के नोटिस तामील हैं/तामील शुदा। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 ड्यूटी में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 23/02/2022 को पेश हो।	
23/02/2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 28/04/22 को पेश हो।	
28/04/2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 05/07/2022 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	[illegible] अहलमद [illegible] हुक्म की [illegible] में जारी [illegible]
30/06/2022	प्रार्थिनी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली तलब करवाई जाकर विड्रोवल की गई मूल वाद जरिये विड्रोवल खारीज हो चुका है इसलिए उक्त स्थगन आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थिनी के उक्त स्थगन आवेदन को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	